राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प03(52) राज-6 / 12 /4 जयपुर, दिनांक 14/6/13

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

## परिपत्र

विषयः- राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध में।

संबंधित खातेदारों की आपसी सहमति से उनके खेतो तक पहुच के लिए रास्ता गुजरता है या नया रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते मे आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है। यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पडती है तो उसका भी समाधान किया जा चुका है एवं यदि खातेदार आपस में सहमत नही है तो वह खातेदार जिसको जोत तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौड़ा करना है तो उसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही है लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार को अपनी जोत तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नही है। खातेदार राजकीय भूमि में से ही होकर अपनी जोत तक पहुच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है।

उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारीश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत किया जावें। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

आज्ञा से

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. संभागीय आयुक्तगण (समस्त) राजस्थान।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
7. आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर ।
8. समस्त उपशासन सचिव गण, राजस्व विभाग।
9. [illegible]ल।

संयुक्त शासन सचिव